

## आदेश

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ के आदेश संख्या: डीजी-चार-स्था०-जीआरपी-(143)/2020 दिनांक 08.07.2020 द्वारा उ०नि०ना०पु० 912490715 प्रवीन कुमार का जनहित में जनपद हरदोई से राजकीय रेलवे पुलिस, उ०प्र० लखनऊ 03 वर्ष के लिये किया गया स्थानान्तरण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के समादर एवं कर्मी की जीआरपी हेतु निर्धारित आयु 47 वर्ष से अधिक होने के कारण तत्कालिक प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

यह आदेश पुलिस स्थापना बोर्ड के कार्यवृत्त संख्या: एएसपी-(ई-1)-जीआरपी-231/2021 दिनांक 13.07.2021 में लिये गये निर्णय के अनुसार जारी किया जा रहा है।

DGP HQRS UP LKW  
DG-IV-STHA-(233)/2021/361 DT 13-07-2021

13/7/21  
(राहुल मिश्र)

अपर पुलिस अधीक्षक/  
पुलिस उपाधीक्षक, स्थापना  
कृते पुलिस उपमहानिरीक्षक, कार्मिक  
मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,  
उ०प्र० लखनऊ।

**मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।**  
संख्या: डीजी-चार-स्था०-जीआरपी-231-2021/361 दिनांक: जुलाई 13 2021

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- अपर पुलिस महानिदेशक, रेलवे, राजकीय रेलवे पुलिस मुख्यालय, उ०प्र० लखनऊ।
- 2- पुलिस अधीक्षक, जनपद हरदोई।

### संख्या तथा दिनांक वही

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को कृपया सादर सूचनार्थ प्रेषित:-

- 1- पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
- 2- अपर पुलिस महानिदेशक, स्थापना, मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ०प्र० लखनऊ।